



## **NOTICE/सूचना**

**Subject – Strict Compliance with attendance requirements as per CBSE Examination Bye-Laws for Board Examination Eligibility – reg./बोर्ड परीक्षा पात्रता हेतु सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियमों के अनुसार उपस्थिति आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन – संबंध में।**

Roll No. \_\_\_\_\_

Dear \_\_\_\_\_,

1. As per the CBSE Examination By Laws Rule 13 and 14, a minimum of 75% attendance is mandatory for students to be eligible to appear for the Board Examinations.

सीबीएसई परीक्षा उपनियमों के नियम 13 और 14 के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्रों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

2. Any student, if on leave due to a medical or any other reason, needs to apply for the leave to the school with proper medical and other documents at the time of availing leave. Leave without a written request will be considered unauthorized absence from the school and CBSE shall not allow such students to appear in the Board Examinations.

यदि कोई छात्र चिकित्सा या किसी अन्य कारण से अवकाश पर है, तो उसे अवकाश लेते समय उचित चिकित्सा और अन्य दस्तावेजों के साथ विद्यालय में अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। लिखित अनुरोध के बिना अवकाश लेना विद्यालय से अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा और सीबीएसई ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं देगा।

4. The Board offers a 25% relaxation only in cases of exigencies such as medical emergencies, participation in national or international sports events, and other serious reasons, if supported by the necessary documents/record.

बोर्ड केवल चिकित्सा आपात स्थिति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी, और अन्य गंभीर कारणों जैसे आपातकालीन मामलों में 25 प्रतिशत छूट प्रदान करता है, यदि आवश्यक दस्तावेजों/रिकॉर्ड द्वारा समर्थित हो।

5. **Leave Procedures** : Students must inform the school of their absence with a valid reason and only in writing.

**छुट्टी प्रक्रिया** – छात्रों को अपनी अनुपस्थिति के बारे में स्कूल को वैध कारण के साथ और केवल लिखित रूप में सूचित करना होगा।

6. **Parental Communication** : In case a student frequently misses school or fails to meet the attendance requirement the school will inform the parents in writing through Registered/Speed Post, E-mail.

**अभिभावक संचार** – यदि कोई छात्र अक्सर स्कूल से अनुपस्थित रहता है या उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है, तो स्कूल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट, ई-मेल के माध्यम से अभिभावकों को लिखित रूप से सूचित करेगा।

S.N.	Valid reason for condonation of shortage of attendance/उपस्थिति में कमी की माफी के लिए वैध कारण	Mandatory documents/अनिवार्य दस्तावेज
1	Prolonged Illness/लंबी बीमारी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Request(s) from the parent/अभिभावक से अनुरोध</li> <li>2. Medical Certificate(s) for the period of absence from a Government doctor./अनुपस्थिति की अवधि के लिए सरकारी डॉक्टर से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र।</li> <li>3. All medical reports, X-rays etc./सभी चिकित्सा रिपोर्ट, एक्स-रे आदि।</li> <li>4. Recommendation of school in the proforma attached./संलग्न प्रपत्र में स्कूल की अनुशंसा।</li> </ol>
2	Loss the father/mother or some other such incident leading to his/her absence from the school and meriting special consideration./पिता/माता की मृत्यु या ऐसी कोई अन्य दुर्घटना जिसके कारण उन्हें स्कूल से अनुपस्थित रहना पड़ा हो और विशेष ध्यान देने योग्य हो।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Request from the parent/guardian/अभिभावक/संरक्षक से अनुरोध</li> <li>2. Death Certificate issued by the concerned Authority/संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र</li> <li>3. Recommendation of the school concerned in the proforma attached./संलग्न प्रपत्र में संबंधित स्कूल की अनुशंसा।</li> </ol>
3	Any other reason of similar serious nature./ इसी तरह का कोई अन्य गंभीर कारण।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Request from the parent/अभिभावक से अनुरोध</li> <li>2. Certificate issued by the concerned Govt. Authority supporting the nature of reason/कारण बताते हुए संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र</li> <li>3. Recommendation of the school concerned in the proforma attached./संलग्न प्रपत्र में संबंधित स्कूल की अनुशंसा।</li> </ol>

4	Authorized participation in Sports at National level organized by CBSE/SGFI/सी.बी.एस.ई./एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अधिकृत भागीदारी।	1. Request from the parent/अभिभावक से अनुरोध 2. Certificate issued by the concerned Authority/संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र 3. Recommendation of the school concerned in the proforma attached./संलग्न प्रपत्र में संबंधित स्कूल की अनुशंसा।
5	Authorized participation in Sports at the National level/international level as per SOPs./मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) के अनुसार राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अधिकृत भागीदारी।	1. Request from the parent/ अभिभावक से अनुरोध 2. Recommendation letter from Sports Authority of India (Only as per SOPs)/भारतीय खेल प्राधिकरण से अनुशंसा पत्र (केवल मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार) 3. Recommendation of the school concerned in the proforma attached./संलग्न प्रपत्र में संबंधित स्कूल की अनुशंसा। 4. Action be taken as per Standard Operating Procedures issued by CBSE for students participating in National level/International sports events./राष्ट्रीय स्तर/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए सी.बी.एस.ई. द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 5. Strictly only within schedule/केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर हो।

*Principal*  
**PRINCIPAL**

### DECLARATION BY PARENT/STUDENT

I(मैं), \_\_\_\_\_, son/daughter of (पुत्र/पुत्री) \_\_\_\_\_, studying in Class (कक्षा) \_\_\_\_\_, Section (वर्ग.) \_\_\_\_\_, Roll No. (अनुक्रमांक) \_\_\_\_\_, do hereby declare that/ मैं अध्ययनरत हूँ, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:

1. I am aware that as per **CBSE Examination Bye-Laws**, it is mandatory to maintain a **minimum of 75% attendance** in the academic session to be eligible to appear in the Board Examinations./मुझे ज्ञात है कि सीबीएसई परीक्षा उपनियमों के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र होने हेतु शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखना अनिवार्य है।
2. I undertake to attend school regularly and maintain the required percentage of attendance./मैं नियमित रूप से विद्यालय आने और आवश्यक उपस्थिति प्रतिशत बनाए रखने का वचन देता/देती हूँ।
3. In case of absence due to illness or any valid reason, I/we shall submit a leave application along with the necessary medical or supporting documents./बीमारी या किसी वैध कारण से अनुपस्थिति की स्थिति में, मैं/हम आवश्यक चिकित्सा या सहायक दस्तावेजों के साथ अवकाश आवेदन प्रस्तुत करूँगा/करेंगे।
4. I/we understand that shortage of attendance may make me ineligible to appear in the CBSE examinations unless condonation is granted under CBSE rules./मैं/हम समझते/समझती हूँ/हैं कि उपस्थिति में कमी के कारण मैं सीबीएसई परीक्षाओं में बैठने के लिए अयोग्य हो सकता/सकती हूँ, जब तक कि सीबीएसई नियमों के तहत क्षमादान न दिया जाए।
5. The decision of the school authorities in this regard will be final and binding./इस संबंध में विद्यालय प्राधिकारियों का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**Parent's/Guardian's Name & Signature:** \_\_\_\_\_ **Date :** \_\_\_\_\_

(माता—पिता/अभिभावक का नाम और हस्ताक्षर)

**Parent's Contact No. (माता—पिता का संपर्क नंबर)** \_\_\_\_\_

**Student's Contact No. (छात्र का संपर्क नंबर)** \_\_\_\_\_

**\*e-mail Id (Mandatory) (ई—मेल आईडी (अनिवार्य))** \_\_\_\_\_

**Date of submission (जमा करने की तिथि)** \_\_\_\_\_ **Class Teacher** \_\_\_\_\_

**Sign (Receiving with date)** \_\_\_\_\_

(हस्ताक्षर (प्राप्तकर्ता दिनांक सहित))